न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी
ताराराम पुत्र धरमाजी, जाति–कुम्हार,, निवासी–पालडी एम, तह. शिवगंज, जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी
1.नरसाराम पुत्र धरमाजी, जाति– कुम्हार,, निवासी– पालडी एम, तहसील– शिवगंज
2.शंकरलाल पुत्र धरमाजी, जाति– कुम्हार,, निवासी– पालडी एम, तहसील– शिवगंज
3.पटवारी, पटवार हल्का, पालडी, तहसील– शिवगंज, जिला–सिरोही
4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 17/2022

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवडा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 31 मार्च, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम पालडी एम., पटवार हल्का पालडी एम के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3769 दिनांक 07.1.2022 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवडा ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 सगे भाई है। प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपीलार्थी व अन्य सहखातेदारों के विरुद्ध एक वाद वास्ते बंटवाडा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत सहायक कलक्टर, शिवगंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो राजस्व वाद संख्या 22/20217 पर दर्ज रजिस्टर हुआ। उक्त वाद में दिनांक 10.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित कैम्प कोर्ट पालडी एम में निर्णित करते हुए डिक्री किया गया। उक्त डिक्री पर्चे की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा खसरा संख्या 986 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 3769 दायर किया, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा सहायक कलक्टर, शिवगंज के निर्णय व डिक्री पर्चे व अनुमोदित व स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव व नक्शें के विरुद्ध जाकर दर्ज किया गया है। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2021 को न्यायालय सहायक कलक्टर, शिवगंज द्वारा जो बंटवाड प्रस्ताव अनुमोदित कर स्वीकृत किया था, उक्त बंटवाड प्रस्ताव से पूर्णतया भिन्न स्थिति में अपनी मनमर्जी से संशोधन कर बट्टा नंबर अंकित कर नामान्तरकरण दर्ज किया है और तहसीलदार, शिवगंज द्वारा भी तथ्यों व दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षण [illegible] द्वारा नामान्तरकरण की पूर्ण जांच नही कर निर्णय व डिक्री के तथ्यों को [illegible] प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के

......पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:19:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

नाम नामान्तरकरण दर्ज करने में कानूनी भूल की है। सहायक कलक्टर, शिवगंज द्वारा जो नक्शा व बंटवाड प्रस्ताव अनुमोदित कर स्वीकृत किया गया है उसमें किसी प्रकार के खसरा संख्या के कोई बट्टा नंबर अंकित नही है व न ही निर्णय व डिक्री में बट्टा नंबर अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 को निर्णय, डिक्री व अनुमोदित व स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव व नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करनी चाहिये थी। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 को नामान्तरकरण में अपनी तरफ से कोई शब्द या अंक जोडने या हटाने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है उनहें केवल निर्णय व डिक्री की पालना करनी थी, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 ने नामान्तरकरण में मनमर्जी से बट्टा नंबर अंकित किये है जो गलत है तथा कुटरचना की श्रेणी में आता है। बंटवाड के वाद में अन्तिम डिक्री गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जबकि इस प्रकरण में स्टाम्प पत्र पर डिक्री जारी नही की गई है। यह कि खसरा संख्या 986 का सहायक कलक्टर न्यायालय, शिवगंज द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में कोई बट्टा नंबर व तरमीम का आदेश नही थी उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने मनमर्जी से बट्टा नंबर डालकर नामान्तरकरण दर्ज किया है एवं प्रत्यर्थी तहसीलदार, शिवगंज ने भी तथ्यों व दस्तावेजों की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण को स्वीकृत किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 3769 दिनांक 07.1.2022 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि सहायक कलक्टर न्यायालय, शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2021 की पालना में हल्का पटवारी, शिवगंज द्वारा अनुमोदित बंटवाड प्रस्ताव व नक्शा अनुसार ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया है, जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक, पालडी एम द्वारा की गई है तथा उक्त नामान्तरकरण सहायक कलक्टर, शिवगंज के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2021 की पालना में स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव व नक्शा अनुसार ही होने से तहसीलदार, शिवगंज द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है जो विधि अनुरुप है। जब भी किसी कृषि भूमि का सहखातेदारों के मध्य बंटवाडा होता है तो उस स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव के अनुसार मूल खसरा संख्या के बट्टा नंबर अंकित करके ही उस खसरे की भूमि का सहखातेदारों के मध्य विभाजन किया जाता है। मूल खसरा नंबर के बट्टा नंबरों के अभाव में उस खसरे की कृषि भूमि का कानूनन बंटवाड नही हो सकता है। स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव व अनुमोदित नक्शें की पालना में दायर नामान्तरकरण में कृषि के विभाजन हेतु मूल खसरा के बट्टा नंबर अंकित करना आवश्यक होने से ही नियमानुसार मूल खसरे के बट्टा नंबर अंकित कर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है तथा उसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये जाने के बाद तहसीलदार,, शिवगंज द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। यदि अपीलार्थी को सहायक कलक्टर, शिवगंज के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तथा स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति है तो उस निर्णय व डिक्री के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिये। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में दायर होकर स्वीकृत हुये नामान्तरकरण को तब तक निरस्त नही किया जा सकता, जब तक कि उस निर्णय व डिक्री को सक्षम न्यायालय ने निरस्त नही किया हो। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह यह व्यक्त किया कि सहायक कलक्टर न्यायालय, शिवगंज द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव अनुसार नामान्तरकरण दायर होकर स्वीकृत हुआ है।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं [illegible] पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया [illegible] कलक्टर, शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2017 [illegible] काश्तकारी

....पेज तीन पर

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:19:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2021 की पालना में हल्का पटवारी, पालडी एम द्वारा ग्राम पालडी एम के खसरा संख्या 986 की भूमि के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 3769 दायर किया गया, जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक, पालडी एम द्वारा की जाने के बाद तहसीलदार,, शिवगंज द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3769 दिनांक 07.1.2022 को स्वीकृत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 3769 को सहायक कलक्टर, शिवगंज के न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री तथा स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार दायर किया गया है जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 07.1.2022 को स्वीकृत किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि किसी खसरे की भूमि को उस खसरे की भूमि के सहखातेदारों के मध्य विभाजन के समय मूल खसरा नम्बर में बट्टा नंबर अंकित कर ही उस खसरे की कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि सहायक कलक्टर न्यायालय, शिवगंज द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है, तब तक उस निर्णय व डिक्री की पालना में दायर होकर स्वीकृत हुये नामान्तरकरण को कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:19:02 IST
Reason: SelfAttested